

पाताल लोक

Edition

मंदसौर, सोमवार 13 जून 2022, ज्येष्ठ सुदी 14 विक्रम संवत् 2079



चुनाव को लेकर बैठक, नाहरगढ़ थाने में बैठक



पालो कार्यालय मंदसौर

मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नाहरगढ़ थाने पर बैठक का आयोजन किया गया। वही एसडीओपी नरेंद्र सौलंकी ने बताया की आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रथम चरण दिक्तीय चरण तृतीया चरण में जो चुनाव होना है जो पहले भी मोहल्ला में समितीया जो गठित की गई थी जिसकी आज थाने पर बुला कर बैठक ली गई जिसमे कहा गया कि जो सोशल मीडिया अन्य वॉट्सपो पर जो माहौल चल रहा व सवेदन शील और सोशल मीडिया पर बिना आवश्यक की टिप्पणी नही करे और अगर किसी प्रकार की कोई पोस्ट अनावश्यक रूप से वायरल नही करे और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो थाना पर जाकर थाना प्रभारी को सूचित करें, ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। वहीं नाहरगढ़ स्कूल पर मतदान केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया और पंचायत चुनाव के पोलिंग बूथ है उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है उसमे क्या संसोधन हुआ है उससे सम्बंधित से पूछताछ भी की गई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया साथ ग्रामीण क्षेत्र एसडीओपी नरेंद्र सौलंकी थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर उपनिरीक्षक भीम सिंह राठौर आरक्षक महेंद्र सिंह उपस्थित रहे।



पाताल लोक

Edition

मंदसौर, सोमवार 13 जून 2022, ज्येष्ठ सुदी 14 विक्रम संवत् 2079



एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले को तीन साल की सजा

पालो कार्यालय मंदसौर

एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले योगेश पिता राजूलाल गेहलोत निवासी नयापुरा रोड को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच ने तीन साल की सजा सुनाई है। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 5 वर्ष पूर्व की होकर 29 नवंबर 2017 को दोपहर के लगभग 4 बजे की कमल चौक, टैगोर मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कक्ष की है। आरोपी योगेश गेहलोत व दिपेश पंवार दोनो ए.टी.एम. कक्ष में रूपये निकालने के लिए गये थे, किन्तु मशीन में से रूपये नहीं निकलने के कारण आरोपी योगेश ने मशीन की स्क्रीन पर मुक्का मारकर उसे क्षतीग्रस्त कर दिया। आरोपीयों को ऐसा करते हुए चपरासी विकास ने देख लिया जिस कारण उसने कक्ष का दरवाजा बंद करके मैनेजर विनोद धाकड़ को घटना की सूचना दी, जिसके पश्चात् मैनेजर द्वारा पुलिस को बुलाया गया तथा पुलिस द्वारा दोनो आरोपीयों को थाना नीमच कैंट पर ले जाकर केस दर्ज कराया। प्रकरण की विवेचना ए.एस.आई. कन्हैयालाल सौलंकी द्वारा की गई, जिनके द्वारा ए.टी.एम. मशीन में हुए लगभग 1 लाख रूपये के नुकसान के संबंध में नुकसानी पंचनामा बनाया गया तथा ए.टी.एम. कक्ष के सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान एक आरोपी दिपेश पंवार की मृत्यु हो जाने से आरोपी योगेश के विरुद्ध विचारण हुवा। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चरमदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये तथा घटना की सीसीटीवी फुटेज को न्यायालय के समक्ष चलाया गया, जिसमें आरोपी मुक्का मारकर ए.टी.एम. की स्क्रीन को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा था। अभिलेख पर



आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन द्वारा अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय ने आरोपी को तीन साल की सजा और एक हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

पाताल लोक

Edition

ऋषडङ्ग, २६ इई 13 मि 2०22, बस ४ २६: 14 पड़पड़ २४१मि 2०19



फटा-फट खबरें

मारपीट और गाली गलौज, प्रकरण दर्ज

मंदसौर। पुलिस ने मारपीट और गाली गलौज के मामलों में प्रकरण दर्ज किए हैं। दलौदा पुलिस ने बताया कि जीतेन्द्रसिंह पिता कारुसिंह निवासी सरसौद के साथ सुनील पिता रामगोपाल, श्रीपाल पिता रामगोपाल, ईश्वरलाल पिता रामगोपाल, रामगोपाल कुमावत और रतनलाल निवासी सरसौद ने मारपीट कर गाली गलौज की। भावगढ पुलिस ने बताया कि धापूबाई पति रामलाल निवासी गुराडियालाल मुंहा के साथ मुन्नालाल पिता रामलाल और संगीताबाई पति मुन्नालाल निवासी गुराडियालाल मुंहा ने मारपीट कर गाली गलौज की। नाहरगढ पुलिस ने बताया कि इंदरसिंह पिता गोपाल निवासी गाडरिया बडा के साथ पीरुलाल पिता गोपाल निवासी गाडरिया बडा ने मारपीट कर गाली गलौज की।

मंडी में सो रहे किसान पर चढ़ी पिकअप, मौत



मंदसौर। कृषि उपज मंडी में अपनी उपज के ऊपर सो रहे किसान के ऊपर पिकअप चढ़ गई। जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना रात की है। ग्राम बोरदिया का रहने वाला किसान अपनी उपज लेकर मंडी आया था। यहां रात में अपनी उपज के ऊपर सो रहा था। इसी दौरान एक पिक अप किसान के ऊपर चढ़ गई जिससे उसकी मौत हो गई सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

दलौदा पुलिस की कार्रवाई

देशी कट्टा के साथ धराया बदमाश

पालो कार्यालय मंदसौर

चुनाव के समय में विशेषकर अवैध शराब और हथियारों की तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश एसपी अनुराग सुजानिया ने दिए हैं। निर्देशानुसार दलौदा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर दलौदा पुलिस ने बारह बोर कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। दलौदा पुलिस ने बताया कि मोरखेडा फंटा पर दुर्गेश पिता धनराज निवासी मोरखेडा को रोककर तलाशी ली गई। जिसमें उसके पास कट्टा और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है। हथियार कहा से लाया गया था। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।



आचार संहिता उल्लंघन

14 नामजद लोगों पर केस दर्ज, 13 गिरफ्तार

पालो कार्यालय मंदसौर

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय के चुनाव के चलते जिले में कलेक्टर के ओर से धारा 144 लागू की गई है। वर्तमान में संपूर्ण जिले में आचार संहिता लागू है, उसके बाद भी कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए कुछ लोगों ने फव्वारा चौक से बिना किसी पूर्व वैधानिक अनुमति के रैली निकाली। साथ ही शासकीय संपत्ति पर पोस्टर भी चिपकाए।

जिस पर कैंट पुलिस के ओर से कार्रवाई करते हुए कुल 14 नामजद आरोपियों और अन्य 20-25 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 188 भादवी मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3, 5 के तहत



अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की गई। वहीं कुल 13 आरोपियों को

गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।



Digital Newspaper

साध्य दैनिक



केवल सोशल मीडिया पर उपलब्ध

पाताल लोक

Edition

मंदसौर, सोमवार 13 जून 2022, ज्येष्ठ सुदी 14 विक्रम संवत् 2079



पुलिस को देख भागा शराब तस्कर

दो पेट्टी शराब जब्त, आरोपी की तलाश जारी

पालो कार्यालय ६ मंदसौर

पुलिस ने अवैध शराब के साथ आरोपियों को पकड़ा है। इसमें पुलिस देख एक बाइक सवार तस्कर शराब गिराकर भाग निकला। पिपलियामंडी पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर बहीपार्श्वनाथ रोड पर दबिश दी गई। इस दौरान एक पल्सर सवार को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन वह पुलिस को देख दो पेट्टी देशी शराब वहीं गिराकर भाग निकला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इसके अलावा वायडी नगर पुलिस ने बताया कि राजू पिता गणेश अहिरवार निवासी बोहराखेडी को दस लीटर शराब के साथ गांव से ही पकड़ा है। नई आबादी पुलिस ने बताया कि दशरथ पिता जगदीश निवासी चंदरपुरा को चार लीटर शराब के साथ मेनपुरिया से पकड़ा है। अफजलपुर पुलिस ने बताया कि 28 क्राटर शराब के साथ गोविंदसिंह पिता कमलसिंह निवासी



मोयाखेडा जिला रतलाम को अफजलपुर पालडी रास्ता से पकड़ा है। नारायणगढ पुलिस ने बताया कि कारुलाल पिता

बद्रीलाल निवासी गोपालपुरा को 15 क्राटर शराब के साथ किंतुखेडी फंटा से गिरफ्तार किया है। सीतामऊ पुलिस ने बताया कि

कन्हैयालाल पिता बाबरुलाल निवासी हानडी को चार लभटर शराब के साथ गांव से ही गिरफ्तार किया है।

चमत्कारी बालाजी साईं मंदिर पर चोरी, दानपेटी उठा ले गये

पालो कार्यालय ६ मंदसौर

श्री चमत्कारी बालाजी साईं मंदिर दशरथ नगर रोड मंदसौर से गत 12-13 जून की मध्यरात्री में अज्ञात चोर चैनल गेट के ताले तोड़कर भारी भरकम दानपेटी उठा ले गये, इसके पूर्व भी मंदिर पर अनेकों बार ताले तोड़कर चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं! जिसमें करती की इलेक्ट्रिक मशीन भी चोर उठा ले गये हैं! चोरी रिपोर्ट शहर थाने पर की गयी है, जिस पर रविवार की रात्रि में शहर थाने से पुलिस स्टाफ ने मौका निरीक्षण किया गया है, सामग्री सहित लगभग 30 से 35 हजार की अनुमानित राशि चोरी गयी बनती है।





पाताल लोक

Edition

मंदसौर, सोमवार 13 जून 2022, ज्येष्ठ सुदी 14 विक्रम संवत् 2079



मनचलों और बदमाशों को महिलाएं सिखाएंगी सबक, इन रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा मिर्च स्प्रे और पाउडर

अकेली महिलाएं अब ऐसे करेंगी अपनी सुरक्षा

पालो कार्यालय ६६ मंदसौर

रतलाम। ट्रेन में यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक तरकीब जीआरपी ने तलाश ली है। इसके लिए अपनी निगरानी में जीआरपी मिर्च स्प्रे व पावडर महिला यात्रियों के लिए को बिक्री करेगी। इसकी बिक्री जीआरपी स्वयं करेगी। राज्य पुलिस ने जीआरपी को इसकी मंजूरी दे दी है। फिलहाल इसके लिए बिक्री करने वाले की जरूरत जीआरपी को है।

मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ब्यावरा, मेघनगर, नीमच, शामगढ़, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की निगरानी में मिर्च स्प्रे की बिक्री जीआरपी की देख रेख में जल्दी शुरू होगी। असल में ट्रेन में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ ट्रेन में कई बार लूट,

ट्रेन में यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक तरकीब जीआरपी ने तलाश ली है

छेड़छाड़ की वारदातें सामने आती हैं। कई बार इससे बचने के लिए महिलाओं के साथ कोई साधन नहीं होता। महिला यात्रियों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी यात्रा सुरक्षित करने के उद्देश्य से अब रेलवे स्टेशनों पर मिर्च स्प्रे उपलब्ध होगा। जीआरपी ने इसके लिए स्टेशनों पर इसे बेचने के लिए वेंडर की तलाश भी शुरू कर दी है। फिलहाल मिर्च स्प्रे की कीमत क्या हो, यह तय नहीं किया गया है, लेकिन जीआरपी के अधिकारियों का कहना है कि इसको कम से कम कीमत में उपलब्ध महिला यात्रियों के

लिए करवाया जाएगा।

पहले चरण में इन रेलवे स्टेशन पर

पहले चरण में यह जीआरपी दस थाना रेलवे स्टेशन पर इसकी शुरुआत करेगी। दूसरे चरण में महु, देवास, चंद्रावतीगंज, मक्सी, शाजापुर, नागदा को भी योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

इसलिए है यह महत्वपूर्ण

रेलवे अधिकारियों के अनुसार मिर्च स्प्रे

(काली मिर्च पाउडर) को छिड़कने से आंखों में जलन होती है व इससे आंसू आ जाते हैं। जिस पर इसे छिड़का जाता है उसे सांस लेने में परेशानी होती है। नाक से पानी बहने लगता है और खांसी आने लगती है। इसके साथ ही आंखों में तेज दर्द के साथ कुछ देर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसका असर छिड़कने के 30 से 40 मिनट तक रहता है।

जल्दी शुरू करने जा रहे

महिला यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए जीआरपी जल्दी ही मिर्च स्प्रे पावडर की बिक्री रेलवे स्टेशन पर करने जा रही है। इसकी विभागीय स्वीकृति मिल गई है। जल्दी ही इसकी शुरुआत इंदौर, उज्जैन, रतलाम सहित अन्य रेलवे स्टेशन पर होगी।

- निवेदिता गुप्ता, रेल एसपी, जीआरपी